"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 फरवरी 2011—माघ 12, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

क्रमांक 866/डी-25/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-01-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

धारा 25 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा."

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

क्रमांक 866/डी-25/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 04 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2011)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2010

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from 01st April, 2011

Amendment of Section 25.

2. After clause (iv) of sub-section (2) of Section 25 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(v) 10% surcharge on the prescribed duty on excisable articles will be payable which shall be transferred to rural and urban local bodies on the basis of their population."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011